डिकीदार पक्ष अनुपस्थित। मद्यून अनिर्वाहित। प्रकरण मद्यून की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में बार बार पुकार लगाये जाने के पश्चात डिकीदार पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है, जबकि समय 4:45 पी.एम. होकर समाप्ति की ओर है और डिकीदार पक्ष की अनुपस्थित के संबंध में कोई योग्य कारण भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं तथा प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 05.01.11 से लंबित इस इजरा प्रकरण में न्यायालय द्वारा बार-बार कड़े निर्देशों के साथ अनेकानेक अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई तलवाना डिकीदार पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा

अतः उक्त समस्त के आलोक में मामले में डिकीदार पक्ष की रूचि नहीं रह जाना प्रकट होने से यह इजरा प्रकरण निरस्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो। STEAN ST

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड